



थाना- सरायमीर, जनपद- आजमगढ़

दिनांक- 03.10.2026

**अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग के जरिए टेलीकॉम राजस्व में धोखाधड़ी करने वाले 02 साइबर अपराधी
गिरफ्तार, 16 मोबाइल फोन, लैपटॉप, 03 सिम कार्ड व 4690 रुपये बरामद**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में ***अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री पंकज श्रीवास्तव*** के पर्यवेक्षण में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना सरायमीर पुलिस एवं साइबर सेल आजमगढ़ की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 02.10.2026 को संजरपुर क्षेत्र से 02 अभियुक्तों को 16 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद डेल कम्पनी का लैपटॉप, 03 अदद खुले सिम कार्ड एवं 4690 रुपये नगद*** के साथ गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.10.2026 को थाना सरायमीर पुलिस एवं साइबर सेल आजमगढ़ की संयुक्त टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थी। इसी दौरान संजरपुर बाजार से करीब 200 मीटर आगे पोखरे के पास दो संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा दोनों को पकड़कर नाम-पता पूछते हुए तलाशी ली गई, जिसमें उनके कब्जे से 16 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद डेल कम्पनी का लैपटॉप, 03 अदद खुले सिम कार्ड एवं कुल 4690 रुपये नगद बरामद हुए। पूछताछ में दोनों द्वारा अपने साथी जीशान के साथ मिलकर *International Premium Rate Numbers (IPRN)* पर इंटरनेट कॉलिंग (VoIP) के माध्यम से कॉल कर टेलीकॉम राजस्व में अवैध रूप से हिस्सा प्राप्त करने की बात बताई गई। बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर दोनों अभियुक्तों को समय करीब 00:30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा बरामद माल को नियमानुसार कब्जे में लेकर थाना स्थानीय पर ***मु०अ०सं० 247/2026, धारा 318(4)/319/111/317(2) बीएनएस एवं 66C/66D आईटी एक्ट*** पंजीकृत किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अपराध का तरीका/पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे अपने साथी ***जीशान पुत्र मोबीन निवासी महाजनी टोला, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़*** के साथ मिलकर ***International Premium Rate Numbers (IPRN)*** पर इंटरनेट कॉलिंग (VoIP) एवं अन्य माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय कॉल करते/करवाते थे। इन कॉलों को विभिन्न टोल-फ्री नंबरों से कनेक्ट कर अधिक समय तक सक्रिय रखा जाता था, जिससे प्रति मिनट के आधार पर राजस्व उत्पन्न होता था तथा उसमें से अभियुक्तों को कमीशन प्राप्त होता था। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उन्हें व्हाट्सएप/टेलीग्राम के माध्यम से प्रीमियम नंबर एवं कॉल रूट उपलब्ध कराए जाते थे। बरामद मोबाइल फोन एवं लैपटॉप में **BESTIPRN.COM** एवं **ESSARTELECOM.NET** से संबंधित लॉगिन आईडी/पासवर्ड के माध्यम से कॉल रूटिंग एवं कॉल बाईपास किए जाने की जानकारी सामने आई है। अभियुक्तों द्वारा इस कार्य से प्राप्त धनराशि को आपस में बांटने तथा कई बार **USDT/क्रिप्टो करेंसी** के माध्यम से लेन-देन किए जाने की बात भी बताई गई है।

बरामदगी का विवरण-

1. 16 अदद मोबाइल फोन
2. 01 अदद डेल कम्पनी का लैपटॉप
3. 03 अदद खुले सिम कार्ड
4. 4690 रुपये नगद

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मो0 ताबिश पुत्र जोरार अहमद, निवासी खुदादादपुर, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 41 वर्ष।
2. सलीम अहमद पुत्र जावेद अख्तर, निवासी खरेवां, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 247/2026, धारा 318(4)/319/111/317(2) बीएनएस एवं 66C/66D आईटी एक्ट, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रशान्त सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 रविप्रकाश गौतम, प्रभारी साइबर सेल आजमगढ़
3. हे0का0 ओमप्रकाश जायसवाल, साइबर सेल, आजमगढ़
4. का0 आलोक सिंह, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़
5. का0 राहुल गौड़, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़

